न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 190/2022 प्रार्थना पत्र

GCMS No. - 2022/585

श्रीमती केसरबाई पत्नी हरलालजी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी ईशाकपुरा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थीया

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता प्रार्थी
2– तहसीलदार निम्बाहेड़ा – विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा सगवाड़ीया पटवार हल्का बाड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 35 की आराजी नं0 447 रकबा 1.1700 हैक्टेयर लगानी 4 रूपये 10 पैसा स्थित है। उक्त आराजीयात के पुराने आराजी नं0 351/199 मी. रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा स्थित है

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीया की खातेदारी कब्जे काश्त की चली आ रही है जो प्रार्थीया द्वारा गजेन्द्रसिंह, सुगनबाला राजकंवर पिता अर्जुनसिंह राजपुत एवं सीताबाई पत्नी अर्जुनसिंह राजपुत निवासी निम्बाहेड़ा से दिनांक 26/07/2007 के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से उक्त आराजियात प्रार्थीया के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य में चली आ रही है जिसका नामांतरकरण 559 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ। उक्त आराजियात जिसका पुराने नक्शा के में सही रूप से तरमीम था तथा वर्तमान सेटमेन्ट के नये नक्शे में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से नवीन नक्शा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया हैं । प्रार्थीया की आराजी के पूर्व दिशा में भील की आराजी स्थित है उसके बाद आम रास्ता स्थित है जबकि वर्तमान नक्शे में पूर्व दिशा में प्रार्थीया की आराजी को सकर कर आम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:39 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते से लगा हुआ दर्शा दिया है, इसी प्रकार प्रार्थीया की आराजी के मध्य से सरकारी नहर जो दक्षिण से उत्तर की ओर निकली हुई है तथा नहर के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में प्रार्थीया की आराजी लगी हुई है जबकि मौके पर प्रार्थी का अपने सम्पूर्ण रकबे 1.1700 है0 पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से गलत रूप से तरमीम हो गया है तथा उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में अंकन प्रार्थीया का मौके पर कब्जे अनुसार नही किया है। इसलिए उक्त नवीन नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीया का मौके पर काबिज अनुसार, पुराने नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त जावें।

3. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्शा ट्रेस व राजस्व रेकार्ड में पुराने नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती कर तरमीम किये जाने की कृपा करावें। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक / राजस्व / 2023 / 177 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा सगवाड़िया की आराजी नम्बर 447 रकबा 1.17 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार खातेदार श्रीमती केसरबाई पत्नी हरलाल जाति गाडरी निवासी ईशाकपुरा के नाम दर्ज होकर नक्शे में मौजा सगवाड़िया के दक्षिण पूर्वी कोने में नरसिंहगढ़ व कदमाली की सीमा पर स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में प्रार्थीया द्वारा बताया गया कि प्रार्थीया की आराजी नम्बर के मध्य नहर दक्षिण से उत्तर की और निकली हुई है तथा नहर के पूर्व व पश्चिम में प्रार्थीया की आराजियात है व सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा है। अतः नवीन नक्शे में कब्जा अनुसार तरमीम किया जावें। यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुंत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 के अनुसार मौके पर प्रार्थीया का कब्जा ग्राम सगवाड़िया की सीमा से लगी हुई नरसिंहगढ़ की चरनोट आराजी नम्बर 447 पर काबिज है। ग्राम सगवाड़िया में प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है। ग्राम सगवाड़िया की आराजी नम्बर 443 व 445 के मध्य नहर का आराजी नम्बर 444 है उक्त आराजी नम्बर की दक्षिणी में सीमा पर स्थित है। उक्त आराजी नम्बर के दक्षिण में नरसिंहगढ़ की सीमा है। ग्राम नरसिंहगढ़ की आराजी नम्बर 447 किस्म चरनोट के मध्य नहर के दोनों ओर प्रार्थीया का कब्जा है। जिसे प्रार्थीया रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने की अनुशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Kumaria
Date: 2024.01.06 18:46:39 IST
Reason: SelfAttested

5. उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have***

been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 26.07.2007 की फोटोप्रति, ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–2080 की खाता संख्या 35 की आराजी नम्बर 447 रकबा 1.1700 की फोटोप्रति, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति, ग्राम सगवाड़िया की नकल जमाबन्दी संवत् 2041–2042 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2067–2070 की प्रमाणित प्रति, ग्राम सगवाड़िया का पुराने नक्शे की प्रमाणित प्रति, पेश की है।

8. दोनो पक्षों के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थीया ग्राम सगवाड़िया पटवार हल्का बाड़ी की अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 447 रकबा 1.1700 हैक्टेयर भूमि को मौके पर काबिज अनुसार, नवीन नक्शा राजस्व रेकार्ड में, पुराने नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार, तरमीम कर इन्द्राज दुरूस्ती कराना चाहती है। लेकिन तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थीया का कब्जा ग्राम सगवाड़िया की सीमा से लगी हुई नरसिंहगढ़ की चरनोट आराजी नम्बर 447 पर काबिज है। ग्राम सगवाड़िया में प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है। ग्राम सगवाड़िया की आराजी नम्बर 443 व 445 के मध्य नहर का आराजी नम्बर 444 है उक्त आराजी नम्बर की दक्षिणी में सीमा पर स्थित है। उक्त आराजी नम्बर के दक्षिण में नरसिंहगढ़ की सीमा है। ग्राम नरसिंहगढ़ की आराजी नम्बर 447 किस्म चरनोट के मध्य नहर के दोनों ओर प्रार्थीया का कब्जा है। जिसे प्रार्थीया रेकार्ड में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:39 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:46:39 IST
Reason: SelfAttested